हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज

-/04/23 पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। आदेश अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.02.26 17:50:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

पीठासीन अधिकारी :- श्री प्रमोद कुमार, आरएएस उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी

मु.न. 11/2021

प्रार्थी

1. बाबूराम पुत्र पुरखाराम
2. ईश्वरराज पुत्र पुरखाराम
3. देदाराम पुत्र पुरखाराम
4. दानाराम पुत्र पुरखाराम
5. नरसीगाराम पुत्र पुरखाराम
6. नीम्बाराम पुत्र पुरखाराम
7. पूरों पत्नी पुरखाराम
8. वैनाराम पुत्र पुरखाराम

जाति जाट निवासी पोकरासर (छोटू) तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. गेनाराम पुत्र मुकनाराम
2. जोगाराम पुत्र मुकनाराम
3. नारणाराम पुत्र मुकनाराम
4. पूनमाराम पुत्र मुकनाराम
5. किस्तूरीदेवी पत्नी मुकनाराम

   जाति जाट निवासी पोकरासर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
6. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क**
**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संशोधन) अधिनियम 2010**

**उपस्थित :**

1. **श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. **श्री रामजीवन अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 1**

-: निर्णय :-

दिनांक :- 04.04.23

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A रा.का.अ. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व ग्राम पोकरासर पटवार क्षेत्र छोटू तहसील गुड़ामालानी में खेत खसरा नम्बर 414 रकबा 2.8328 हैक्टयर में आने जाने हेतु कोई राजकीय कटान मार्ग नहीं है, कटान मार्ग तक पहुंचने हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 794/412 में से रास्ते की मांग कर निवेदन किया कि प्रस्तावित स्थान पर पूर्व में कदीमी रास्ता चला था जिसको रास्ते हेतु समर्पण करने में हमने व खसरा नम्बर 794/412 के खातेदारों के बीच सहमति बनी थी, जिसके लिये हमने व खसरा नम्बर 797/412 व 793/412 के खातेदारों ने भूमि रास्ते हेतु समर्पण करवा दी थी [illegible] 794/412 के खातेदारों ने समर्पण करने से इन्कार कर दिया तथा रास्ता [illegible] बन्द कर दिया है। अतः हमारी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 414 [illegible] के लिये 3 गट्ठा चौड़ा नया रास्ता ग्राम पोकरासर के खेत खसरा नम्बर 794/412 में से संलग्न "परिशिष्ठ-अ" अनुसार राजस्व रेकार्ड में कटान मार्ग अभिलिखित करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.02.26 17:30:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण ने काल्पनिक व मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर यह आवेदन किया है, विप्रार्थीगण की खातेदारी में कभी कोई रास्ता चलायमान नहीं था और ना ही कोई पगडंडी थी, प्रार्थीगण व अन्य पडौसियों ने मिलकर विप्रार्थीगण को नुकशान करने व दुराशय से दोनों तरफ के खातेदारों से मिलकर समर्पण करवा कर षडयन्त्र पूर्वक विप्रार्थीगण की आराजी में से रास्ता चाहा है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है अतः प्रार्थीगण के लिये नजदीकी विकल्प की रिपोर्ट मंगाई जावे तथा यह भी कथन किया कि विप्रार्थीगण की खातेदारी खेत खसरा नम्बर 794/412 व खसरा पाडौसी खसरा नम्बर 413 के सेढसे पर आधा–आधा के हिसाब से मौका रिपोर्ट पुनः मगाई जावे जिसके लिये विप्रार्थीगण सहमत हैं। भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिपोर्ट कमांक 15 दिनांक 08.11.2021 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 414 तक पहुंचने हेतु समर्पित रास्ते से सड़क तक के बीच खसरा नम्बर 794/412 के अलावा निकटतम कोई स्रोत नहीं है, उक्त खसरा नम्बर तक पूर्व में खसरा नम्बर 413 व 494/412 की मेड पर खसरा संख्या 794/412 के अन्दर होकर पट्टियां खडी की जाकर एवं तारबंदी कर मौके पर रास्ता बनाया हुआ था। वर्तमान में विप्रार्थीगण खसरा नम्बर 794/412 के खातेदारों द्वारा प्रार्थीगण के खसरा संख्या 414 तक पहुंचने में व्यवधान पैदाकर चालू रास्तं के अन्दर वाद दायर करने के उपरान्त अवैध रूप से कब्जा कर एक झोपा अन्दर लाकर रख दिया है, जो रास्ता अवरूद्ध करने की नीयत से लग रहा है। प्रार्थीगण को 794/412 के अलावा निकटतम दूसरा कोई विकल्प अपने खसरे तह पहुंचने हेतु नहीं है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 32 गट्ठा तथा चौडाई 3 गट्ठा का कुल रकबा 0.05 बीघा (0.0405 हैक्टेयर) है, जिसे प्रस्तावित नजरी नक्शा में बरंग 'काला' दर्शाया गया है।

यहां स्पष्ट करना उचित है कि प्रार्थीगण द्वारा रास्ते हुए यह आवेदन दिनांक 29.09.2021 को इस न्यायालय में पेश किया जिसकी आगामी तारीख पेशी दिनांक 08.11.2021 नियम की गई, विप्रार्थीगण को नोटित तामील होते ही प्रार्थीगण के इस आवेदन के आदेश दिनांक 08.11.2021 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी पेश कर दी गई। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा विप्रार्थीगण की निगरानी का दिनांक 08.08.2022 को निर्णय निम्न प्रकार से पारित किया गया :– अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 08.11.202[illegible] अंकित किया है कि –"पत्रावली आज प्रशासन गांवों के सं[illegible]यान [illegible] पेश हुई। तहसीलदार रिपोर्ट [illegible] सहमति नहीं हुई। पत्रावली वास्ते जबाव अप्रार्थीगण दिनांक 18.12.2[illegible] को पेश हो।" उक्त आदेश की प्रकृति पूर्णतया अन्तरिम है, जो केस डिसाइडेड की परिभाषा में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेशिका दिनांक 08.11.2021 द्वारा पत्रावली वास्ते जबाव अप्रार्थीगण नियत की है। ऐस में प्रार्थीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.02.26 17:50:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने ऐतराजात/उज्र उठाने चाहिए। किन्तु प्रार्थीगण ने ऐसा ना कर मण्डल के समक्ष यह निगरानी पेश की है, जो स्वीकार योग्य नहीं है। अतः यह निगरानी खारिज की जाती है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विप्रार्थीगण प्रार्थीगण को रास्ता दिये जाने हेतु सहमत नहीं है। जबकि तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण द्वारा सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नम्बर 794/412 की भूमि में से ही आवागमन किया जाता रहा है। अलावा इसके खसरा नम्बर 794/412 के खातेदारों अर्थात विप्रार्थीगण के अलावा पड़ौसी समस्त खातेदारों द्वारा पूर्व से चलायमान रास्ते की किस्म परिवर्तन के लिये अर्थात रास्ते की सुविधा के लिये समर्पण करवाया जा चुका है केवल मात्र विप्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नम्बर 794/412 में से रास्ता अपलिखित किया जाना शेष है तथा तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी खेत खसरा नम्बर 414 के लिये कटान मार्ग तक पहुंच का सबसे नजदीकी एकमात्र विकल्प विप्रार्थीगण की खातेदारी खेत खसरा नम्बर 794/412 में से ही है।

प्रार्थीगण के आवेदन पर गंभीरता व गहनता से मनन करते हुए तथा प्रार्थीगण की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपनी रिपोर्ट कमांक 15 दिनांक 08.11.2021 के संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए ''काला रंग मार्क'' अनुसार कटान मार्ग से प्रार्थीगण की आराजी खेत खसरा संख्या 414 ग्राम पोकरासर में आने–जाने हेतु विप्राथीगण की आराजी ग्राम पोकरासर के खेत खसरा नम्बर 794/412 में से लम्बाई 32 गट्ठा तथा चौडाई 2 गट्ठा कुल रकबा 0.0259 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु बरंग ''काला'' संलग्न नक्शा अनुसार 'रास्ता' घोषित किए जाने के आदेश दिया जाते है। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत किया गया परिशिष्ट 'अ' मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस को निर्णय का आवश्यक अंग मानते हुए प्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार प्रस्तावित 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा।

प्रार्थीगण द्वारा रास्ता प्राप्त करने के एवज में कितनी राशि का भुगतान विप्रार्थीगण को किया जाएगा, इस हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) (संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(1) (11)(अ) में स्पष्ट है कि अगर समझौते में क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं है तो जिला स्तरीय कमेटी ( DLC ) द्वारा निर्धारित दरो की दो गुना राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। और अगर कोई अन्य पेड, फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो अध्याय [illegible] अन्तर्गत उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नु[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.02.26 17:50:14 IST
Reason: SelfAttested

निर्णयानुसार प्रस्तावित 'रास्ते' मे [illegible]विष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचालित DLC द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा प्रार्थीगण को अवगत कराई जाएगी। तहसीलदार द्वारा गणना उपरांत बताई गई राशि का

खण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

भुगतान प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण को 'रास्ते' के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देय होगी जो DLC द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक को प्रचलित दर की दो गुणा के बराबर होगी।

प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थीगण को प्रदान करने के उपरांत ही तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जाएगा। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करते हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जाएगी। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी।

नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में 'रास्ते' के रूप में दर्ज होगी। प्रार्थीगण को इस प्रकार दर्ज भूमि को 'रास्ते' के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही होंगे। रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थीगण को नया रास्ता दिए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार गुडामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 4/4/23 को खुले न्यायालय मजमेआम में सुनाया गया।

( प्रमोद कुमार )
उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.02.26 17:50:14 IST
Reason: SelfAttested